

**न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी**

**समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 773/2015**  
**संस्थित दिनांक- 29.12.2015**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. ....अभियोजन

**वि रु द्ध**

बबन उर्फ अशोक पिता इंदरसिंह भीलाला,  
आयु-22 वर्ष, निवासी-ग्राम खेड़ी बसाहट,  
थाना अंजड़, जिला बड़वानी

.....आरोपी

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	- श्री ए.जी. शेख अधिवक्ता ।

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 25/01/2016 को घोषित)**

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 259/15 के आधार पर दिनांक 14.11.15 को दिन में 5:00 बजे फरियादी शिवराम के खेत के पास ग्राम उचावद में उसे धारदार वस्तु तीखी बांस की लकड़ी से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा-324 का आरोप है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी शिवराम अभियुक्त को जानता है एवं फरियादी द्वारा अभियुक्त से दिनांक 29.12.15 को राजीनामा किये जाने के आधार पर उसे भा.द.वि. की धारा-294, 323 एवं 506 के अभियोग से दोषमुक्त घोषित किया गया है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.11.15 को शाम 5:00 बजे फरियादी शिवराम बैलगाड़ी लेकर कपास लेने जा रहा था, खेत के रास्ते के पास अभियुक्त उसे मिला और उसे अश्लील गालियां दी तथा बांस की लकड़ी से उसे सिर पर मारा, जिससे उसे चोट लगकर खून निकलने लगा, खेत पड़ौसी ओमप्रकाश, अलीप एवं प्रभु ने आकर बीच-बचाव किया, अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी भी दी । इस घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना राजपुर में दर्ज करायी, जहां से असल अपराध कायमी हेतु थाना अंजड़ में भेजा गया, थाना अंजड़ पर अभियुक्त के विरुद्ध असल अपराध क्रमांक 259/14 दर्ज कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्त पर भा.द.वि. की धारा-324 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.11.15 को दिन में लगभग 5:00 बजे फरियादी के खेत के पास ग्राम उचावद में उसे तीखी बांस की लकड़ी से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

**:- साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-**

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी फरियादी शिवराम (अ.सा.1) एवं स.उ.नि. स्वदेश कुमरावत (अ.सा.2) का परीक्षण कराया गया है ।

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी शिवराम (अ.सा.1) का कथन है कि घटना डेढ़ माह पूर्व की है, वह अपनी पत्नी अनिता एवं मजदूरों को बैलगाड़ी पर लेकर आरोपी के खेत से जा रहा था, रास्ते से निकलने की बात पर अभियुक्त ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी थी, वह बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था, खड़े होने के दौरान उसे पास में लगे हुए पेड़ की सूखी लकड़ियों से चोट आई थी । इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किये जाने के उपरांत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसे बांस की लकड़ी से सिर में मार दिया था, जिससे उसे चोट लगी थी । साक्षी ने प्र.पी.1 की रिपोर्ट एवं पुलिस कथन प्र.पी.2 में अभियुक्त द्वारा उसे बांस की लकड़ी से मारकर उपहति कारित करने से स्पष्ट इन्कार किया है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है ।

8. साक्षी स.उ.नि. स्वदेश कुमरावत (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 15.11.15 को थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 259/15 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने ओमप्रकाश की निशांदाही से प्र.पी.3 का नक्शा मौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं अभियुक्त के पेश करने पर एक बांस की लकड़ी को प्र.पी.4 के अनुसार जप्त किया था तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके कहु अनुसार लेखबद्ध किये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसे किसी साक्षी ने कथन नहीं दिये थे एवं उसने प्र.पी.4 के अनुसार कोई जप्ती नहीं की थी ।

9. राजीनामा होने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का फरियादी स्वयं पक्षविरोधी रहा, उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तथा राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है तो ऐसी स्थिति में संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी शिवराम को लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उक्त अपराध भा.द.वि. की धारा-324 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

10. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

11. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

12. प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि नष्ट की जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.